(155)

ब अदालत श्रीमान× राजस्व मंण्डल ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा म0प्र0।

R 5208-II/17

Rs-30/-

1- शैलेश कुमार (पुत्र गण स्व0 राधेमोहन तिवारी निवासी मोहल्ला

2- राजेश कुमार 365/320 मोहत्सिमगंज इलाहाबाद उ0प्र0

3- सुनील कुमार (

4- समीर कुमार

5- सुजीत कुमार (

6- मनीष कुमार

7- गुड़िया (

8- बेबी

9- सोना देवी (

अधिवक्ता श्री मुरलीधर सिंह, एड० द्वारा पेश। 17-5-17

कार्यालय राजस्व मण्डल (सर्किट कोर्ट) रीवा

-------------- निगरानी कर्ता गण।

बनाम

1- प्रमोद कुमार पुत्र जगदीश नारायण ग्राम बबंधर तहसील बारा जिला उत्तर प्रदेश ---- गैर निगरानी कर्ता।

निगरानी आदेश दिनांक 04-05-17 पारित श्रीमान् अपर कमिश्नर साहब रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्र. 844(अ) /16-17.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5207–दो / 17 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20 –06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुरलीधर सिंह द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 844 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 04.5.2017 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण में स्थगन नहीं दिये जाने पर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार नहीं होने के कारण स्थगन नहीं दिया गया है। अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 844 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 04.5. 2017 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 4.5.17 स्थिर रखा जाता है। तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। सदस्य	